भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं0 आर-11014/15/2012-एनटी(भाग)

दिनांक: 27 अप्रैल, 2015

**कार्यालय ज्ञापन**

एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए **सरकारी कैप्टिव प्रयोक्ताओं** को स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक प्रभार पर प्रशासनिक रूप से तथा निम्नलिखित शर्तोंपर किया जाए :

क) वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार दिनांक 22 मार्च, 2012 के आदेश सं0 पी-11014/34/2009 - पीपी(I), (II), (III) और (IV) के अनुसार लगाया जाएगा जो दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से लागू होगा और यह कैप्टिव प्रयोक्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण करने संबंधी अंतिम निर्णय लिए जाने तक लागू रहेगा ।

2. आवेदकों को वचन देना होगा कि वे निम्नलिखित शर्तों पर फ्रीक्वेंसियों के आवंटन के लिए सहमत होंगे:

(i) स्पेक्ट्रम का आवंटन अनंतिम है और यह स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकार के निर्णय के अध्यधीन है ;

(ii) केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम आंवटित करने का अंतिम निर्णय लिए जाने की स्थिति में, स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस ले लिया जाएगा ;

(iii) स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस लिए जाने की स्थिति में, स्पेक्ट्रम प्रभार अथवा उसके किसी भाग के लिए किए गए भुगतान को वापस नहीं किया जाएगा ;

(iv) स्पेक्ट्रम के अनंतिम आवंटन को वापस किए जाने की स्थिति में, संबंधित बेतार उपयोगकर्ता बेतार उपस्कर को संसाधित करने के लिए गैर डीलर स्वामित्व लाइसेंस (एनडीपीएल) प्राप्त करेगा अथवा डीपीएल धारकों को वापस करेगा अथवा प्रक्रिया के अनुसार इसका निपटान किया जाएगा।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में दी गई उपर्युक्त शर्तों को आशय पत्र (एलओआई), लाइसेंस प्रदान करने के निर्णय(डी/एल) और बेतार प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) में भी जोड़ा जाए।

(वीरेश गोयल)
उप बेतार सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. सभी संबंधित अधिकारियों को।
2. बेतार वित्त प्रभाग।
3. बेतार अनुश्रवण संगठन।
4. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार विभाग को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. डीडब्ल्यूए(एएसएमएस) को डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।